बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
सूचना

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निबंधन सेवा के अंतर्गत **संयुक्त अवर निबंधक/अवर निबंधक** के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Certificates Verification) बिपार्ड, गयाजी में **निम्न** रूप से किया जायेगा:–

क्रमांक	अनुक्रमांक	नाम	सत्यापन की तिथि
1	201475	श्री आशीष रंजन	दिनांक–30.07.2026 को पूर्वाह्न 09:30 बजे से
2	521731	सुश्री भावना	
3	575838	श्री मनोरंजन कुमार	
4	533599	श्री सोमेश कुमार	
5	475344	श्री सुमीत सौरभ	
6	479454	सुश्री फरीन राना	
7	538861	सुश्री नम्रता	दिनांक–31.07.2026 को पूर्वाह्न 09:30 बजे से
8	507416	सुश्री सौम्या सक्सेना	
9	545154	सुश्री सोनीया पाण्डेय	
10	124459	सुश्री सौम्या	
11	353621	श्री अमीत कुमार	

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखि प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रतियों की दो–दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे:–

01. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
02. इन्टरमीडिएट, स्नातक उर्त्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
03. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
04. अगर अभ्यर्थी पूर्व किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में नियोजित/कार्यरत हों तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC)।
05. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए)।
06. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (BC/MBC अभ्यर्थियों के लिए)/EWS प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)।
07. समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।
08. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र।
09. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र।

Scanned with OKEN Scanner

10. पूर्ण रूप से भर हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन विहित प्रपत्र 02 (दो) प्रतियों में विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र कि "सभी प्रमाण–पत्र सही है तथा आपके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज हुई है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है तथा पूर्व में किसी फौजदारी मामले में सजा नहीं हुई है।" उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

12. पासपोर्ट साईज़ का अभ्यर्थी का 04 (चार) नवीनतम कलर फोटो।

13. कोई फोटो दस्तावेज, जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित कर सकें (यथा–आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)।

14. प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

25/7/2016

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner